तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज | नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या– 27/2021 अंतर्गत धारा–75 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2021/36)

अनवानः

1. रामेश्वर पुत्र चन्दूराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी रोजड़ी हाल चक 2 पीडब्बलू एम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. चुन्नीलाल पुत्र चन्दूराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी रोजड़ी हाल चक 2 पीडब्बलू एम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

बनाम

1. शान्ति बैवा चन्दूराम जाति जाट निवासी चक 1 आरजेएम (रोजड़ी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. राजाराम पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी चक 1 आरजेएम (रोजड़ी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. रंजना पुत्री चन्दूराम जाति जाट निवासी चक 1 आरजेएम (रोजड़ी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. विनोद पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी चक 1 आरजेएम (रोजड़ी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
5. विजयपाल पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी चक 1 आरजेएम (रोजड़ी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
6. जेठी देवी बैवा चन्दूराम जाति जाट निवासी चक 1 आरजेएम (रोजड़ी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
7. स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर।

13.12.2022 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थीगण श्री रामेश्वर व चुन्नीलाल पुत्रगण श्री चन्दूराम तथा अभिभाषक अपीलार्थी श्री प्रहलाद जाखड़ ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2, 4 व 5 श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। अपीलांट्स अब अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहते हैं एवं जरिये विड्रो खारिज करवाना चाहते है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला के निर्णय दिनांक 10.02.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

E. Nimay 2020

प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं जरिये विड्रो खारिज करवाना चाहते है। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2, 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया ने उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अपनी अनापत्ति व्यक्त की। अतः यह अपील अपीलांट्स जरिये विड्रावल (withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर